अध्याय 5: वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

5.1.1 कर प्रबन्ध

5.1.1.1 यात्री एवं माल कर

मोटर वाहनों का पंजीकरण, यात्री एवं माल कर (पी.जी.टी.) का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण, हरियाणा राज्य में यथा लागू, पंजाब यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1952 (पी.पी.जी.टी. अधिनियम) के प्रावधानों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शासित होते हैं। प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग सरकारी स्तर पर प्रशासनिक मुखिया हैं। विभाग का समग्र प्रभार आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.), हरियाणा, चंडीगढ़ के पास निहित है। पी.जी.टी. के उद्ग्रहण एवं संग्रहण से संबंधित कार्य फील्ड में उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (डी.ई.टी.सीज) के अधीन सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ए.ई.टी.ओज) द्वारा किया जाता है। माल तथा यात्रियों को ले जाने वाले सभी मोटर वाहन संबंधित जिले, जिसमें वाहनों के मालिक का आवास अथवा व्यापार का स्थल है जहां राज्य में वाहन सामान्यत: रखे जाते हैं, के ए.ई.टी.ओ. के पास पंजीकृत करवाए जाने अपेक्षित हैं।

5.1.1.2 वाहनों पर कर

मोटर वाहनों का पंजीकरण, यात्री एवं माल ढोने के लिए परिवहन वाहनों को चलाने हेतु परमिटों का निर्गम/ड्राईविंग/कण्डक्टर लाईसैंसों का निर्गम, टोकन कर, परमिट फीस, लाईसैंस फीस इत्यादि के उद्ग्रहण एवं संग्रहण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (एम.वी. अधिनियम), केन्द्रीय वाहन नियम, 1989, हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993, पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1924 (पी.एम.वी.टी. अधिनियम), हरियाणा राज्य में यथा लागू, और पंजाब मोटर वाहन कराधान नियम, 1925 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होते हैं। अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, सरकारी स्तर पर प्रशासनिक मुखिया है तथा राज्य में एम.वी. अधिनियम/नियमों के प्रबंध हेतु उत्तरदायी है और परिवहन आयुक्त, जो विभाग के कार्यचालन पर सामान्य अधीक्षण करता है, द्वारा सहायता प्राप्त है। गैर-परिवहन वाहनों के संबंध में, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग 57 उप-मंडल कार्यालयों (सिविल) द्वारा किया जा रहा है जबकि परिवहन वाहनों के संबंध में आर.एल.ए. की शक्तियों का प्रयोग 21 सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (आर.टी.एज) द्वारा किया जा रहा है।

5.1.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

2007-08 से 2011-12 के वर्षों के दौरान पी.जी.टी. तथा वाहनों पर करों से वास्तविक प्राप्तियां उसी अवधि के दौरान कुल कर/कर-भिन्न प्राप्तियों के साथ निम्न तालिका तथा ग्राफ में दर्शाई गई हैं:

5.1.2.1 यात्री एवं माल कर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता आधिक्य (+)/ कमी (–)	भिन्नता की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर/कर–भिन्न प्राप्तियां	कुल कर/कर–भिन्न प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों की प्रतिशतता
2007-08	924.00	379.39	(-) 544.61	(-) 59	16,714.90	2
2008-09	485.25	370.29	(-) 114.96	(-) 24	14,893.73	2
2009-10	425.00	391.45	(-) 33.55	(-) 8	15,960.90	2
2010-11	425.00	387.14	(-) 37.86	(-) 9	20,211.31	2
2011-12	425.00	429.32	(+) 4.32	(+) 1	25,121.11	2

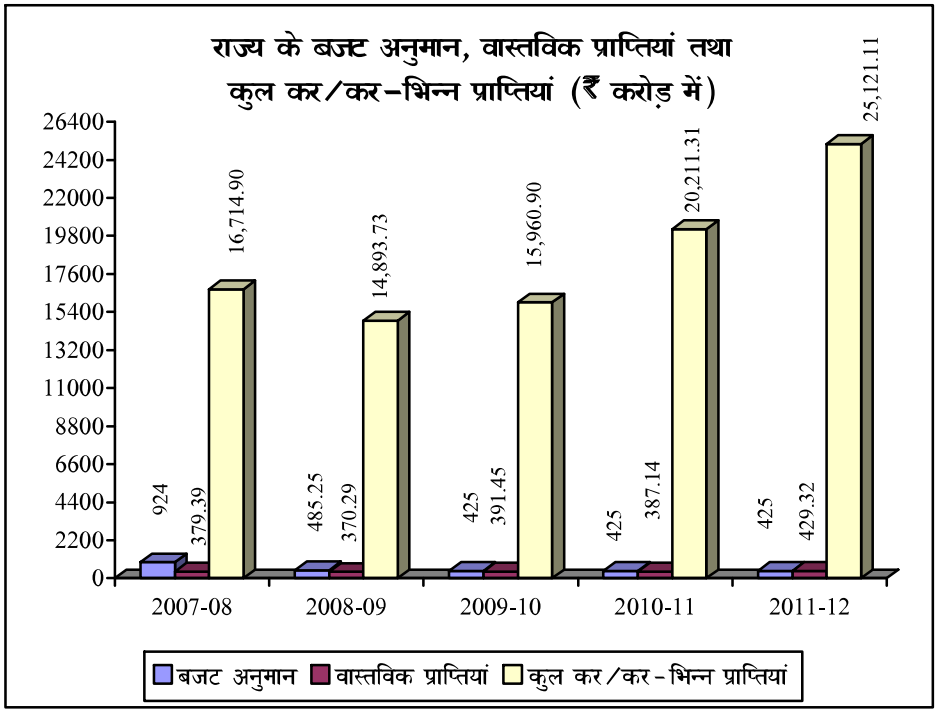

2007–08 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान राज्य की कुल कर/कर–भिन्न प्राप्तियों से पी.जी.टी. से संबंधित आबकारी एवं कराधान विभाग की वास्तविक प्राप्तियां केवल दो प्रतिशत है।

5.1.2.2 वाहनों पर कर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता आधिक्य (+)/ कमी (–)	भिन्नता की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर/ कर–भिन्न प्राप्तियां	कुल कर/ कर–भिन्न प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों की प्रतिशतता
2007-08	275.00	233.79	(-) 41.21	(-) 15	16,714.90	1
2008-09	275.00	239.30	(-) 35.70	(-) 13	14,893.73	2
2009-10	375.00	277.07	(-) 97.93	(-) 26	15,960.90	2
2010-11	350.00	457.36	(+) 107.36	(+) 31	20,211.31	2
2011-12	515.00	740.15	(+) 225.16	(+) 44	25,121.11	3

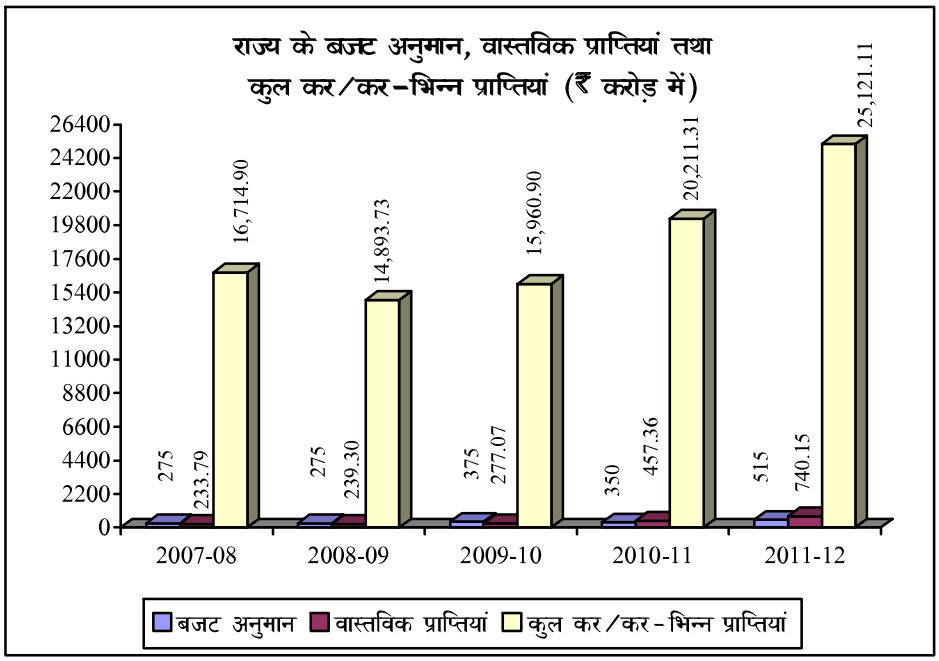

2007–08 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान राज्य की कुल कर/कर–भिन्न प्राप्तियों से वाहनों पर करों से संबंधित परिवहन विभाग की वास्तविक प्राप्तियां एक तथा तीन प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी।

5.1.3 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

क: यात्री एवं माल कर

31 मार्च 2012 को पी.जी.टी. से संबंधित राजस्व के बकाया ₹ 60.18 करोड़ की राशि के थे जिनमें से ₹ 15.29 करोड़ (25 प्रतिशत) पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे। निम्न

तालिका 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान राजस्व के बकायों को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकायों का आरम्भिक शेष	संगृहीत राशि	बकायों का अंत शेष	वास्तविक प्राप्तियां	प्रतिशतता (कालम 2 से कालम 3)	वास्तविक प्राप्तियों से बकायों के अंतशेष की प्रतिशतता (कालम 5 से कालम 4)
1	2	3	4	5	6	7
2007-08	51.97	22.28	48.55	379.39	43	13
2008-09	48.55	11.52	58.08	370.29	24	16
2009-10	58.08	16.88	64.50	391.45	29	16
2010-11	64.50	13.96	59.41	387.14	22	15
2011-12	59.41	23.14	60.18	429.32	39	14

हमने देखा कि पी.जी.टी. के राजस्व के बकाया वर्ष 2007–08 के आरंभ में ₹ 51.97 करोड़ से वर्ष 2011–12 के अंत में ₹ 60.18 करोड़ (16 प्रतिशत) तक बढ़ गए। वर्ष के आरंभ में लम्बित बकायों से बकायों की वसूली की प्रतिशतता 2007–08 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान 22 से 43 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी।

सरकार, सरकारी राजस्व की वृद्धि के लिए तत्पर रूप से बकायों के संग्रहण हेतु प्रभावी कदम उठाने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग को सुझाव दे सकती है।

रव: वाहनों पर कर

विभाग ने सूचित किया कि 31 मार्च 2012 को ₹ 0.84 करोड़ के राजस्व का बकाया था। निम्न तालिका 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान राजस्व के बकायों को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकायों का आरम्भिक शेष	संगृहीत राशि	बकायों का अंत शेष	वास्तविक प्राप्तियां	प्रतिशतता (कालम 2 से कालम 3)	वास्तविक प्राप्तियों से बकायों के अंतशेष की प्रतिशतता (कालम 5 से कालम 4)
1	2	3	4	5	6	7
2007-08	3.20	0.44	2.76	233.79	14	1.18
2008-09	4.15	0.61	3.54	239.30	15	1.48
2009-10	3.40	0.42	2.98	277.07	12	1.08
2010-11	1.30	0.11	1.19	457.36	8	0.26
2011-12	0.92	0.09	0.84	740.16	10	0.11

हमने देखा कि वाहनों पर करों के राजस्व के बकाया वर्ष 2007–08 के आरंभ में ₹ 3.20 करोड़ से वर्ष 2011–12 के अंत में ₹ 0.84 करोड़ (26 प्रतिशत) तक घट गए।

वर्ष के आरंभ में लम्बित बकायों से बकायों की वसूली की प्रतिशतता 2007 – 08 से 2011 – 12 तक की अवधि के दौरान आठ से 15 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी।

5.1.4 संग्रहण की लागत

2007 – 08 से 2011 – 12 तक के वर्षों के दौरान पी.जी.टी. और वाहनों पर कर, राजस्व प्राप्तियों के संबंध में सकल संग्रहण, उनके संग्रहण पर किए गए व्यय और सकल संग्रहण से ऐसे व्यय की प्रतिशतता संबंधित वर्ष के सकल संग्रहण से संग्रहण के व्यय की संबद्ध 'अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता' के साथ नीचे उल्लिखित हैं:

क: यात्री एवं माल कर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण से व्यय की प्रतिशतता
2007-08	379.39	1.13	0.30
2008-09	370.29	1.50	0.41
2009-10	391.45	1.94	0.50
2010-11	387.14	1.94	0.50
2011-12	429.32	2.03	0.47

ख: वाहनों पर कर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण से व्यय की प्रतिशतता	वर्ष की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
2007-08	233.79	5.47	2.34	2.58
2008-09	239.30	8.00	3.34	2.93
2009-10	277.07	11.32	4.08	3.07
2010-11	457.36	13.38	2.93	3.71
2011-12	740.15	13.07	1.77	-

स्रोत: वित्त लेखा।

5.1.5 राजस्व पर लेखापरीक्षा का प्रभाव

5.1.5.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

क: यात्री एवं माल कर

नीचे तालिका 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षित यूनिटों की संख्या, लेखापरीक्षा के दौरान इंगित की गई अभ्युक्तियों के मूल्य, स्वीकृत मामले तथा उनके विरूद्ध की गई वसूली के विवरण प्रदान करती है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखापरीक्षित इकाइयां			स्वीकृत मामले		वर्ष के दौरान की गई वसूली	
	संख्या	मामलों की संख्या	राशि	संख्या	राशि	मामले	राशि
2006-07	22	1,325	2.65	501	0.95	2	0.17
2007-08	22	1,690	3.64	384	1.52	21	0.02
2008-09	22	1,406	1.94	319	0.36	18	0.06
2009-10	23	1,358	1.76	847	0.80	72	0.07
2010-11	22	1,078	1.45	90	1.20	47	1.07
कुल	**111**	**6,857**	**11.44**	**2,141**	**4.83**	**160**	**1.39**

हमने देखा कि 2006-07 से 2010-11 तक के वर्षों के दौरान स्वीकृत मामलों के संबंध में वसूली मात्र 29 प्रतिशत थी।

ख: वाहनों पर कर

नीचे तालिका 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षित यूनिटों की संख्या, लेखापरीक्षा के दौरान इंगित की गई अभ्युक्तियों के मूल्य, स्वीकृत मामले तथा उनके विरूद्ध की गई वसूली के विवरण प्रदान करती है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखापरीक्षित इकाईयां			स्वीकृत मामले		वर्ष के दौरान की गई वसूली	
	संख्या	मामलों की संख्या	राशि	संख्या	राशि	मामले	राशि
2006-07	81	66,261	18.43	-	-	-	-
2007-08	81	58,275	3.30	4,163	0.49	1	0.01
2008-09	81	4,209	2.11	1,523	1.42	81	0.10
2009-10	72	1,234	1.63	422	1.05	66	0.13
2010-11	51	828	1.83	270	0.10	-	-
कुल	**366**	**1,30,807**	**27.30**	**6,378**	**3.06**	**148**	**0.24**

हमने देखा कि 2006-07 से 2010-11 तक के वर्षों के दौरान स्वीकृत मामलों के संबंध में वसूली मात्र आठ प्रतिशत थी।

5.1.5.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति

गत पांच वर्षों (चालू वर्ष के प्रतिवेदन सहित) के दौरान 18 अनुच्छेदों (एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) में ₹ 16.46 करोड़ के राजस्व अर्थापत्ति सहित पी.जी.टी. के अन्/कम उद्ग्रहण/वसूली, कर के विलम्बित/अभुगतान पर ब्याज के अनुद्ग्रहण, परमिट फीस/टोकन कर/बोली धन इत्यादि की अ/कम वसूली के दृष्टांत हैं। इनमें से विभाग ने ₹ 13.47 करोड़ से आवेष्टित 17 अनुच्छेदों (एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की थी तथा ₹ 89.59 लाख वसूल किए थे। विवरण नीचे तालिका में दर्शाए गए हैं:

क: यात्री एवं माल कर

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेद		स्वीकृत अनुच्छेद		वसूली गई राशि	
	(₹ करोड़ में)				(₹ लाख में)	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2007-08	3	1.47	3	1.47	3	25.19
2008-09	1	0.99	1	0.99	1	4.52
2009-10	1	0.65	1	0.65	1	6.32
2010-11	1	1.46	1	1.46	1	9.61
2011-12	1	6.60	1	5.24	-	-
कुल	**7**	**11.17**	**7**	**9.81**	**6**	**45.64**

ख: वाहनों पर कर

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेद		स्वीकृत अनुच्छेद		वसूली गई राशि	
	(₹ करोड़ में)				(₹ लाख में)	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2007-08	5	3.16	4	1.53	1	5.07
2008-09	2	0.63	2	0.63	2	7.78
2009-10	2	0.81	2	0.81	2	7.22
2010-11	1	0.35	1	0.35	1	6.33
2011-12	1	0.34	1	0.34	1	17.55
कुल	**11**	**5.29**	**10**	**3.66**	**7**	**43.95**

हमने देखा कि पी.जी.टी. तथा वाहनों पर करों के संबंध में स्वीकृत मामलों की वसूली क्रमश: चार और 12 प्रतिशत थी। स्वीकृत मामलों के संबंध में भी वसूली की धीमी गति सरकारी देयों को तत्पर रूप से वसूल करने के लिए कार्रवाई आरंभ करने में कार्यालयों/विभागों के अध्यक्षों की ओर से विफलता की सूचक है।

हम सिफारिश करते हैं कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए वसूली यंत्रावली को पुन: तैयार करें कि कम से कम स्वीकृत मामलों में आवेष्टित राशि को तत्पर रूप से वसूल किया जाए।

5.1.6 आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग का कार्यचालन

वाहनों पर कर

विभाग ने बताया (जून 2012) कि व्यय तथा प्राप्तियों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के लिए एक आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली स्थापित की गई थी। विभाग में एक वरिष्ठ लेखा अधिकारी, पांच अनुभाग अधिकारी, दो सहायक तथा एक लिपिक थे। आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने वर्ष 2011-12 के लिए 21 आर.टी.एज और दो पंजीकरण प्राधिकारियों की लेखापरीक्षा की थी। इस प्रकार, लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की आयोजना के साथ उठाई गई तथा समायोजित की गई आपत्तियों के विवरण प्रस्तुत करने में वरिष्ठ लेखा अधिकारी (लेखापरीक्षा) विफल रहे। अनुच्छेद 5.3.1 में चर्चा की गई अनियमितता अप्रभावी आन्तरिक नियंत्रण यंत्रावली की सूचक हैं क्योंकि हमारे द्वारा इंगित की गई अनियमितता आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा पता नहीं लगाई गई थी।

सरकार, पी.जी.टी. तथा वाहनों पर कर राजस्व के निर्धारणों, उद्ग्रहण एवं संग्रहण में त्रुटियों का समयपूर्व पता लगाने एवं सुधार सुनिश्चित करने के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग को सुदृढ़ करने पर विचार कर सकती है।

5.1.7 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011-12 के दौरान वाहनों पर करों, माल एवं यात्री पर करों तथा अन्य कर प्राप्तियों से प्राप्त राजस्व से संबंधित परिवहन, आबकारी एवं कराधान विभागों के कार्यालयों में अभिलेखों की नमूना-जांच ने 2,072 मामलों में ₹ 9.22 करोड़ की राशि के कर/शुल्क, फीस तथा शास्ति इत्यादि की अवसूली/कम वसूली प्रकट की जो मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
क: आबकारी एवं कराधान विभाग (माल एवं यात्रियों पर कर)			
1.	**यात्री एवं माल कर से प्राप्तियां (निष्पादन लेखापरीक्षा)**	1	6.60
2.	विविध अनियमितताएं	487	0.50
	योग	**488**	**7.10**
ख: परिवहन विभाग (वाहनों पर कर)			
1.	स्टेज कैरिज बसों/कम्बाइन हारवैस्टरों इत्यादि के संबंध में टोकन कर की अवसूली/कम वसूली	238	0.43
2.	बोली धन की अवसूली	44	0.68
3.	अन्य राज्यों से स्थानान्तरित वाहनों पर पंजीकरण फीस तथा टोकन कर की अवसूली/कम वसूली	173	0.04
4.	निजी वाहनों से टोकन कर की अवसूली/कम वसूली	741	0.28
5.	विविध अनियमितताएं	388	0.69
	योग	**1,584**	**2.12**
	कुल योग	**2,072**	**9.22**

वर्ष 2011-12 के दौरान विभाग ने 673 मामलों में ₹ 8.02 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जिनमें से 651 मामलों में आवेष्टित ₹ 7.96 करोड़ वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने वर्ष 2011-12 के दौरान 57 मामलों में ₹ 15.81 लाख वसूल किए जिनमें से 35 मामलों में आवेष्टित ₹ 10.36 लाख वर्ष 2011-12 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

आगे लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर, अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग ने ₹ 7.51 लााख वसूल किए।

इस अध्याय में ₹ 6.60 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाली **''यात्री एवं माल कर से प्राप्तियां''** पर निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ₹ 33.51 लाख से आवेष्टित व्याख्यात्मक मामला अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लिखित है।

5.2 यात्रियों तथा माल कर से प्राप्तियां

5.2.1 विशिष्टताएं

- यद्यपि आटो रिक्शा के मामले में यात्री कर के संग्रह ा का दायित्व संबंधित जिले के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (आर.टी.एज) को सौंपा गया था, नमूना-जांच किए गए 10 उप-आबकारी तथा कराधान आयुक्त कार्यालयों में से आठ द्वारा उनसे संबंधित ब्यौरे क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों को हस्तांतरित नहीं किए गए।

(अनुच्छेद 5.2.9)

- छह सीटों वाली मैक्सी/टैक्सी पर प्रभारित किए जाने वाले कर की राशि डीई.टी.सीज अधिकारियों को अवगत नहीं थी क्योंकि पी.पी.जी.टी. अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियम इसे निर्धारित नहीं करते हैं।

(अनुच्छेद 5.2.11)

- आर.टी.एज तथा डी.ई.टी.सीज अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी के परि ाामस्वरूप 368 मैक्सी कैब/टैक्सी के मामले में ₹ 91.93 लाख के यात्री कर का अपवंचन हुआ।

(अनुच्छेद 5.2.12.1)

- आर.टी.एज तथा डीई.टी.सीज कार्यालयों के बीच असमन्वय के परि ाामस्वरूप 2006-11 के दौरान नौ जिलों के आर.टी.एज द्वारा पंजीकृत 2,453 स्कूल बसों में से 1,305 स्कूल बसों के मालिको द्वारा यात्री कर का अपवंचन हुआ।

(अनुच्छेद 5.2.12.2)

- मैक्सी कैब/टैक्सियों के 309 मामलों में ₹ 49.88 लाख की राशि के यात्री कर, ₹ 20.07 लाख के ब्याज तथा शास्ति की वसूली नहीं की गई।

(अनुच्छेद 5.2.13.1)

- विभाग ने चार जिलों में सहकारी समितियों द्वारा स्वामित्व प्राप्त बसों के मामले में ₹ 17.08 लाख की राशि के यात्री कर तथा ₹ 2.71 लाख के ब्याज की वसूली नहीं की।

(अनुच्छेद 5.2.13.2)

- 2,630 मामलों में 10 डी.ई.टी.सीज कार्यालयों में ₹ 3.15 करोड़ की राशि के माल कर तथा ₹ 1.18 करोड़ के ब्याज की वसूली नहीं की गई।

(अनुच्छेद 5.2.14)

- विभाग ने 560 कर निर्धारित मामलों में से 81 मामलों में ₹ 13.23 लाख के ब्याज सहित ₹ 34.28 लाख का यात्री कर वसूल नहीं किया।

(अनुच्छेद 5.2.15)

- विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान जारी 13 निरीक्षण प्रतिवेदनों में से किसी का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

(अनुच्छेद 5.2.16.2)

5.2.2 प्रस्तावना

यात्री एवं माल कर (पी.जी.टी.) तथा हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर (एच.एल.ए.डी.टी.) विभाग के कुल राजस्व का हिस्सा बनते हैं। मोटर वाहनों का पंजीकरण (पी.जी.टी.) का निर्धारण, उद्ग्रहण तथा संग्रहण पंजाब यात्री तथा माल कराधान अधिनियम, 1952 (पी.पी.जी.टी. अधिनियम) तथा उसके अधीन निर्मित नियमों यथा हरियाणा राज्य को लागू के प्रावधानों के अन्तर्गत शासित होते हैं। माल तथा यात्रियों को ले जाने वाले सभी मोटर वाहन संबंधित जिले जिसमें वाहन के स्वामी का निवास या व्यापार का स्थान हैं जहां वाहन को सामान्यत: रखा जाता है के सहायक आबकारी तथा कराधान अधिकारी (ए.ई.टी.ओ.) के पास पंजीकृत करवाने अपेक्षित हैं। पी.जी.टी. प्रत्येक वाहन पर ऐसी दर पर उद्ग्राहय है जिसे अधिनियम तथा नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा समय-समय पर निर्धारित करती है। वित्त वर्ष की समाप्ति या कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा व्यापार की समाप्ति के बाद मोटर वाहनों के मालिको द्वारा दाखिल विवरणी तथा प्रदत्त कर के आधार पर ए.ई.टी.ओ द्वारा कर निर्धारित तथा आदेश जारी किए जाते हैं। हमने यह सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की कि पी.जी.टी. का संग्रहण एवं उद्ग्रहण दक्षतापूर्वक, मितव्ययी रूप से तथा अधिनियम के प्रावधानों पर बल देते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

5.2.3 संगठनात्मक ढ़ांचा

राज्य में पी.जी.टी. के प्रशासन के लिए सरकारी स्तर पर, वित्त आयुक्त तथा प्रधान सचिव, आबकारी तथा कराधान विभाग (एफ.सी.ई.टी.) उत्तरदायी है। विभागीय स्तर पर, विभाग को समस्त कार्यभार आबकारी तथा कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) के पास निहित होता है जिसकी सहायता संयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त (जे.ई.टी.सी.) द्वारा की जाती है। जे.ई.टी.सी. अपनी रेंज के सभी जिलों का पर्यवेक्षण करता है। पी.जी.टी. के उद्ग्रहण तथा संग्रहण का कार्य उप-आबकारी तथा कराधान आयुक्त (डी.ई.टी.सी.) द्वारा लिया गया है, जिसकी सहायता आबकारी तथा कराधान अधिकारी (ई.टी.ओज)/ए.ई.टी.ओज, कराधान निरीक्षक तथा अन्य सहायक स्टाफ द्वारा जिला स्तर पर की जाती है।

5.2.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

हमने यह सुनिश्चित करने के विचार से निष्पादन लेखापरीक्षा की कि:

- बजट अनुमान (बी.ई.ज) निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार तैयार किए गए थे तथा वास्तविक थे;
- मोटर वाहनों का पंजीकरण अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किया गया;
- विभाग में पी.जी.टी. के उद्ग्रहण तथा संग्रहण की प्रणाली दक्ष तथा प्रभावी थी;
- पी.पी.जी.टी. अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं की अनुपालना की गई थी;
- फील्ड कार्यालयों से प्राप्त निर्धारित रिटर्नज/विवरणियों पर अनुवर्ती पर्याप्त थी; तथा
- एक कारगर आन्तरिक नियंत्रण तथा मॉनीटरिंग यंत्रावली विद्यमान थी।

5.2.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किया गया था:

- पी.पी.जी.टी. अधिनियम, 1952 तथा इसके अधीन निर्मित नियम
- पी.जी.टी. के उद्ग्रहण तथा संग्रहण के संबंध में जारी विभागीय अधिसूचनाएं तथा परिपत्र
- विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक निर्देश।

5.2.6 लेखापरीक्षा का क्षेत्र तथा कार्यप्रणाली

2006-07 से 2010-11 तक के वर्षों के लिए राज्य में ई.टी.सी. के कार्यालय तथा डी.ई.टी.सीज (पी.जी.टी.) के 23 कार्यालयों में से 10 में पी.जी.टी. के उद्ग्रहण तथा संग्रहण से संबंधित अभिलेखों की नमूना-जांच जून 2011 तथा फरवरी 2012 के बीच की गई। हमने चार[1] जिला कार्यालय आकार पद्धति से संबंधित आनुपातिक फार्मूला लागू कर रैंडम सैंपल चयन आधार पर तथा चार[2] जिले जोखिम विश्लेषण आधार पर चयन किए। मई 2011 में एंट्री कांफ्रैंस के दौरान विभाग द्वारा दिए गए सुझावों पर निष्पादन लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में पानीपत तथा झज्जर जिले सम्मिलित किए गए थे। हमने 2006-07 से 2010-11 तक की अवधि हेतु विभाग की लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए समान प्रकृति के बिंदु भी शामिल किए हैं।

5.2.7 आभारोक्ति

लेखापरीक्षा को सरल बनाने के लिए विभाग द्वारा आवश्यक सूचना और अभिलेख प्रदान करने में दिए गए सहयोग के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। हमने एक एंट्री कांफ्रैंस (मई 2011) आयोजित की जिसमें वित्त आयुक्त सह प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार (आबकारी एवं कराधान विभाग) और अन्य अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया जहां पर लेखापरीक्षा उद्देश्य, कार्यप्रणाली और जिलों के चयन का वर्णन किया गया। जिलों का चयन तथा लेखापरीक्षा करते समय विभाग के सुझाव भी ध्यान में रखे गए। एक एग्जिट कांफ्रैंस प्रधान सचिव हरियाणा सरकार (आबकारी एवं कराधान विभाग) और अन्य अधिकारियों के साथ आयोजित की गई (अक्तूबर 2012) जहां निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम चर्चित किए गए। एग्जिट कांफ्रैंस और अन्य समयों के दौरान विभाग/सरकार के प्रस्तुत उत्तर और विचार निष्पादन लेखापरीक्षा में सही ढ़ंग से सम्मिलित किए गए।

5.2.8 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति

राज्य में वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान बी.ई.ज तथा पी.जी.टी. के द्वारा वसूल की गई वास्तविक प्राप्तियां उसी अवधि के दौरान कुल कर/कर-भिन्न प्राप्तियों की तुलना अनुवर्ती तालिका तथा ग्राफ में दर्शाई गई है:

---

[1] हिसार,जगाधरी, कुरूक्षेत्र तथा रेवाड़ी।

[2] अंबाला, फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम) तथा गुड़गांव।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पी.ज़ी.टी. के संग्रहण के बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता आधिक्य (+)/ कमी (–)	भिन्नता की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर/ कर–भिन्न प्राप्तियां	कुल कर/ कर–भिन्न प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों की प्रतिशतता
2006-07	730.00	738.41	(+) 8.41	(+) 01	15,518.52	5
2007-08	924.00	379.39	(-) 544.61	(-) 59	16,714.90	2
2008-09	485.25	370.29	(-) 114.96	(-) 24	14,893.73	2
2009-10	425.00	391.45	(-) 33.55	(-) 8	15,960.90	2
2010-11	425.00	387.14	(-) 37.86	(-) 9	20,211.31	2

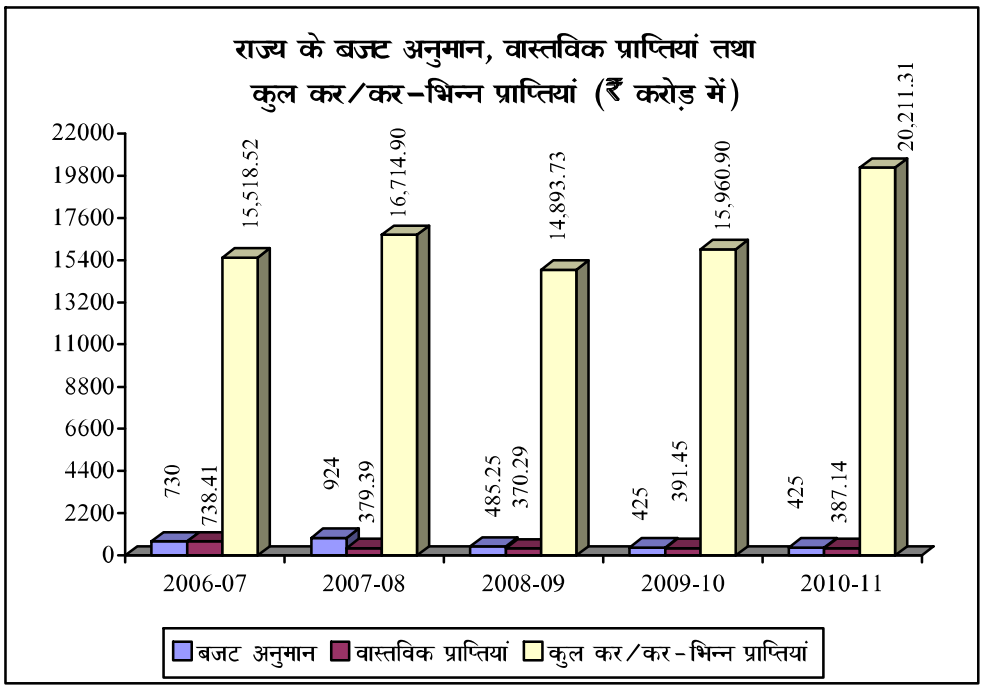

वर्ष 2006–07 से 2010–11 तक की अवधि के दौरान राज्य की कुल कर/कर–भिन्न प्राप्तियों से पी.जी.टी. की वास्तविक प्राप्तियां दो से पांच प्रतिशत के बीच श्रृंखलित थी। विभाग ने बी.ई.ज के संदर्भ के साथ कर की प्राप्तियों में अवरोही प्रवृति के लिए कारण, सहकारी बसों, निजी स्कूल बसों और यात्री कर के कर की दर में कटौती को आरोपित किए। हमने देखा कि वर्ष 2006–07 से 2007–08 में बी.ई.ज 27 प्रतिशत तक बढ़ गई थी और उसके बाद वर्ष 2008–09 से 2010–11 में घट गई। माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के द्वारा एच.एल.ए.डी.टी. अधिनियम असंवैधानिक घोषित किए जाने के परिणामस्वरूप पी.जी.टी. के अन्तर्गत राजस्व में अत्यधिक कमी हुई। इस प्रकार, वित्त विभाग द्वारा तैयार किए गए बी.ई.ज वास्तविक नहीं थे। एग्जिट कांफ्रेंस (अक्तूबर 2012) के दौरान प्रधान सचिव, आबकारी एवं कराधान ने आश्वासन दिया कि वास्तविक बजट अनुमान तैयार किए जाएंगे।

अवधि 2006–11 के दौरान विभाग के पास निम्नलिखित राजस्व का बकाया संग्रहण के लिए प्रतीक्षित था।

वर्ष	बकाया की राशि (₹ करोड़ में)	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि
2006-07	42.32	-
2007-08	48.55	15
2008-09	55.75	15
2009-10	58.99	6
2010-11	59.41	1

विभाग ने 2010–11 के लिए तथ्य स्वीकार किए।

लेखापरीक्षा परिणाम

प्रणाली की कमियां

5.2.9 आटो रिक्शा से संबंधित निर्देशों की अनुपस्थिति

विभाग में विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार, यात्री कर का उद्ग्रहण और संग्रहण संबंधित जिले के डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.) की जिम्मेदारी थी जबकि सड़क कर संबंधित आर.टी.ए. के द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किया जाना था। जनवरी 2009 में जारी निर्देशों के अनुसार यात्री कर और सड़क कर के उद्ग्रहण और संग्रहण की जिम्मेवारी संबंधित जिले के आर.टी.ए. को सोंप दी गई थी। आर.टी.ए. को आगे पी.जी.टी. शीर्ष के अन्तर्गत यात्री कर के एलीमैंट जमा कराने का निदेश दिया गया था।

डी.ई.टी.सीज के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना–जांच ने प्रकट किया कि ऐसे पंजीकृत आटो रिक्शा के मालिकों के विवरण जिनके द्वारा यात्री कर के बकायों का भुगतान किया जाना था, 10 जिलों में से आठ[3] जिलों में स्थानांतरण नहीं किए गए थे। तथापि, डी.ई.टी.सी. कुरूक्षेत्र और जगाधरी द्वारा जनवरी 2010 और जून 2011 के बीच संबंधित आर.टी.एज को लंबित बकाया को विवरण भेजे गए थे लेकिन आर.टी.एज द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

एग्जिट कांफ्रेंस (अक्तूबर 2012) में विभाग ने लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण को स्वीकार किया और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया।

5.2.10 मामलों के अनिर्धारण

पी.पी.जी.टी. अधिनियम का नियम 21 प्रावधान करता है कि यदि कर निर्धारण प्राधिकारी मालिक की उपस्थिति की जरूरत के बिना संतुष्ट है अथवा मालिक उसके द्वारा सबूत की प्रस्तुति पर की किसी अवधि के संबंध में अधिनियम के नियम 17 (3) के अन्तर्गत प्रस्तुत विवरणियां सही और पूर्ण हैं (यह वर्ष में किसी समय पर तथा वर्ष के अंत में) या व्यापार के समापन के बाद, यदि यह वर्ष के दौरान होता है, तो वह ऐसे रिटर्नस के आधार पर मालिक से देय कर की राशि का निर्धारण करता है।

[3] अंबाला, फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम), गुड़गांव, हिसार, झज्जर, पानीपत तथा रेवाड़ी।

वर्ष 2007 – 08 से 2010 – 11 के दौरान डी.ई.टी.सीज कुरूक्षेत्र और फरीदाबाद (पूर्व) के कार्यालयों और वर्ष 2008 – 09 और 2010 – 11 के लिए डी.ई.टी.सी. गुड़गांव के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने देखा कि कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कोई एक मामला भी कर निर्धारित नहीं किया गया था। प्रकरणों के अनिर्धारण के कारण अभिलिखित नहीं थे। हमने देखा कि कोई प्रणाली उपस्थित नहीं थी क्योंकि कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए जाने वाले अनेक मामले थे। ई.टी.सी. द्वारा इस संबंध में कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया था। प्रकरणों के अनिर्धारण के कारण राज्य के राजकोष को यदि कोई हानि है तो लेखापरीक्षा में गणित नहीं की जा सकी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (अक्तूबर 2012) विभाग ने किसी निर्धारणों की अनुपस्थिति स्वीकार की तथा कार्यवाही का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2011 – 12 में जिलों में कर निर्धारण किए गए थे।

हम सुझाव देते हैं कि विभाग द्वारा एक प्रणाली स्थापित की जाए जहां कर निर्धारित किए जाने अपेक्षित अनेक मामले हर साल वैज्ञानिक ढ़ंग से निश्चित किए जाए।

5.2.11 नियमों में कमी

पी.जी.टी. नियम पांच सीटर टैक्सियों और सात से 12 मैक्सी कैबस के मालिकों से प्रभारित किए जाने वाले यात्री कर की दरों का निर्धारण करते हैं। तथापि, छ: सीटर मैक्सी कैब/टैक्सी पर कर प्रभारण हेतु अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है।

हमने देखा कि आठ[4] जिला कार्यालयों में छ: सीटर मैक्सी कैब/टैक्सी पर ₹ 100 प्रति मास प्रति सीट अर्थात् ₹ 1800 प्रति तिमाही की दर पर यात्री कर प्रभारित किया जा रहा था। डी.ई.टी.सी., गुड़गांव ने छ: सीटर टैक्सी पर ₹ 1800 प्रति तिमाही और ₹ 2100 प्रति तिमाही की दर पर कर प्रभारित किया जबकि, डी.ई.टी.सी. हिसार ने ₹ 2700 प्रति तिमाही की दर पर प्रभारित किया। विभाग ने वाहनों की इस श्रेणी पर यात्री कर उद्ग्रहण हेतु कोई निर्देश जारी नहीं किए थे।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने तथ्य स्वीकार किए।

अनुपालना कमियां

5.2.12 वाहनों का अपंजीकरण

पी.पी.जी.टी. अधिनियम की धारा 9 में अपेक्षित है कि मोटर वाहन का मालिक मोटर वाहन को खरीदने की तिथि के 15 दिनों के अंदर अथवा अधिनियम के अन्तर्गत कर भुगतान करने की देयता पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से संबंधित जिले के कर निर्धारण प्राधिकारी के

[4] अंबाला, फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम), जगाधरी, झज्जर, कुरूक्षेत्र, पानीपत तथा रेवाड़ी।

पास अपना वाहन पंजीकृत करवाए। अधिनियम के अंतर्गत चूक के मामले में ब्याज और शास्ति उद्ग्राहय हैं।

5.2.12.1 वर्ष 31 मार्च 2006 के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व) पर हरियाणा विधान सभा के पी.ए.सी. ने अपनी 67वीं रिपोर्ट में निदेश दिए थे कि शेष राशि की वसूली के लिए सभी प्रयत्न किए जाएं और तदनुसार कमेटी को सूचित किया जाए।

इन सिफारिशों के बावजूद, नौ डी.ई.टी.सीज में अनुरक्षित पंजीकरण के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि 368 वाहनों ने यात्री कर का भुगतान नहीं किया, लेकिन आर.टी.ए. के साथ पंजीकृत थे। ₹ 91.93 लाख की राशि के यात्री कर का अपवंचन हुआ।

5.2.12.2 हमने आगे देखा कि सात[5] जिलों में कुल ₹ 2,453 स्कूल बसों में से केवल 1,148 बसें पंजीकृत थी। अप्रैल 2006 से मार्च 2011 तक डी.ई.टी.सी. की 1,305 बसें न तो पंजीकृत की गई और न ही लेखे में ली गई। राज्य के राजकोष को इसके कारण हुई हानि सुनिश्चित नहीं की जा सकी क्योंकि विद्यार्थियों से इक्ट्ठे किए गए बस प्रभारों की राशि सुनिश्चित करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। डी.ई.टी.सीज द्वारा मामला संबंधित आर.टी.एज के साथ नहीं उठाया गया। चार[6] डी.ई.टी.सीज ने बताया कि मामला आर.टी.एज के साथ उठाया जाएगा। आगे प्रगति रिपोर्ट और शेष तीन डी.ई.टी.सीज से उत्तर प्रतिक्षित थे। (अक्तूबर 2012)।

अक्तूबर 2012 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, प्रधान सचिव, आबकारी एवं कराधान विभाग ने बताया कि वाहन मालिक अपने वाहन को राज्य में कहीं भी पंजीकृत करवा सकता है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पी.पी.जी.टी. अधिनियम के अन्तर्गत वाहन मालिक को संबंधित जिले के कर निर्धारण प्राधिकारी को पंजीकरण के लिए आवेदन करना पड़ता है।

हमारा विचार है कि डी.ई.टी.सीज और आर.टी.एज कार्यालय के मध्य समन्वय की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप कर का अपवंचन हुआ।

5.2.13 यात्री कर की कम वसूली/अवसूली

5.2.13.1 मैक्सी सीटर और टैक्सी कार

पी.पी.जी.टी. अधिनियम की धारा 9 और उसके अधीन निर्मित नियमों के अन्तर्गत पांच सीटर टैक्सी कार पर ₹ 3,000 प्रति वर्ष की दर पर और सात से 12 सीटर मैक्सी कैब पर ₹ 100 प्रति सीट प्रतिमास की दर पर यात्री कर उद्ग्राहय है। कर तिमाही, जिससे भुगतान संबंध रखता है, के आरम्भ से 30 दिनों के अंदर समान त्रैमासिक किश्तों में भुगतान योग्य है। चूक के प्रकरण में, शास्ति और ब्याज उद्ग्राहय हैं।

---

5 अंबाला, गुड़गांव, हिसार, जगाधरी, कुरूक्षेत्र, पानीपत तथा रेवाड़ी।

6 अंबाला, जगाधरी, कुरूक्षेत्र तथा पानीपत।

डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.) के 10[7] कार्यालयों के अभिलेखों के नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि 309 मैक्सी सीटर तथा टैक्सी कार के संबंध में यात्री कर का भुगतान टैक्सी मालिकों द्वारा नहीं किया गया था। कोई मांग नोटिस जारी नहीं किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 20.07 लाख के ब्याज सहित ₹ 69.95 लाख के कर की अवसूली/कम वसूली हुई।

विभाग ने, एग्जिट कांफ्रेंस (अक्तूबर 2012) के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

5.2.13.2 परिवहन सहकारी समितियां बसें

यात्री सड़क परिवहन के निजीकरण की स्कीम के अंतर्गत राज्य के लिंक रूटों पर बस चलाने वाले परमिट धारकों को, बस की सीटिंग क्षमता पर आधारित, मार्च 2007 से लागू 52/54 सीटों वाली बस हेतु ₹ 12,000 और 30 सीटों वाली बस के लिए ₹ 6,000 की मासिक दर पर और उनके रूट 24 किलोमीटर तक बढ़ाए जाने के प्रकरण में 52/54 सीटों वाली बस के लिए ₹ 16,000 तथा 30 सीटों वाली बस के लिए ₹ 10,000 की दर पर एकमुश्त यात्री कर का भुगतान करना अपेक्षित है। चूक के मामले में अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति व जुर्माना उद्ग्रहणीय है।

डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.) के चार[8] कार्यालयों के अभिलेखों की 2009-10 से 2010-11 की अवधि हेतु नमूना-जांच ने प्रकट किया कि 11 मामलों में परिवहन सहकारी समितियों की बसों के मालिकों ने वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान मासिक यात्री कर पूर्ण रूप से या भाग में जमा नहीं करवाया। यह दर्शाने के लिए कुछ अभिलिखित नहीं था कि विभाग ने चूककर्त्ता समितियों से कर वसूल करने के लिए मांग प्रस्तुत की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 19.79 लाख (₹. 2.71 लाख के ब्याज सहित) के कर की अवसूली/कम वसूली हुई।

एग्जिट कांफ्रेंस (अक्तूबर 2012) के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

5.2.13.3 सिटी बस आपरेटर्स

पी.पी.जी.टी. (हरियाणा संशोधित) नियम, 2004, की धारा 9 (2ई), जैसा कि 24 फरवरी 2004 से शामिल की गई, प्रावधान करती है कि फरीदाबाद तथा गुड़गांव जिलों में नगर निगम सीमा के भीतर सड़कों पर बसें चलाने के लिए परमिट धारकों द्वारा साधारण हॉफ बॉडी और साधारण फुल बॉडी बसों के लिए क्रमश: ₹ 4,200 तथा ₹ 7,000 प्रतिमाह की निर्धारित दरों पर यात्री कर का भुगतान करना अपेक्षित है। ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस वाली साधारण फुल बॉडी बसों से ₹ 8,000 प्रतिमास की दर पर यात्री कर उद्गृहीत किया गया।

डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.), फरीदाबाद (पूर्व) और गुड़गांव के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि 23 निजी बस आपरेटरों ने, जिन्हें सिटी क्षेत्रों में बसें चलाने के लिए परमिट दिए गए थे, अप्रैल 2010 और मार्च 2011 के बीच विभिन्न अवधियों के

---

7 अंबाला, फरीदाबाद (पश्चिम), फरीदाबाद (पूर्व), गुड़गांव, हिसार, जगाधरी, झज्जर, कुरूक्षेत्र, पानीपत तथा रेवाड़ी।

8 अंबाला, हिसार, पानीपत तथा रेवाड़ी।

लिए मासिक यात्री कर जमा नहीं करवाया। विभाग ने चूककर्ता बस मालिकों से कर वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। विभाग द्वारा कोई मांग सूचनाएं जारी नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.19 लाख के ब्याज सहित ₹ 11.18 लाख के कर की अवसूली/कम वसूली हुई।

एग्जिट कांफ्रेंस में विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

5.2.14 माल कर की अवसूली

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार पंजीकृत भार के आधार पर निर्धारित दरों पर हरियाणा राज्य में अथवा राज्य के अन्दर से माल ले जाने के लिए प्रयुक्त सार्वजनिक और निजी वाहनों पर एकमुश्त में माल कर उद्ग्राहय है। पी.पी.जी.टी. नियमों, 1952 के नियम 9 के साथ पठित, पी. पी.जी.टी. अधिनियम की धारा 22 के निबंधन में दरें ₹ 4,000 प्रतिवर्ष (16.2 टन से ज्यादा नहीं), ₹ 5,600 प्रतिवर्ष (16.2 टन से ज्यादा लेकिन 25 टन से ज्यादा नहीं) और ₹ 12,000 प्रतिवर्ष (25 टन से ज्यादा) हैं।

10 डी.ई.टी.सी. कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना–जांच ने प्रकट किया कि रैंडम सैमपलिंग मैथड द्वारा प्राप्त 10,321 मामलों के सैम्पल साइज में से 2,630 मामलों में ₹ 4.33 करोड़ के माल कर जिसमें ₹ 1.18 करोड़ के ब्याज सहित है प्राप्त नहीं किए गए थे। तथापि, कोई मांग सूचना जारी नहीं की गई थी और कर निर्धारण प्राधिकारी मांग और संग्रहण रजिस्टरों (डी.सी.आरज) की समीक्षा में विफल रहा।

एग्जिट कांफ्रेंस (अक्तूबर 2012) में विभाग लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से सहमत हुआ और आश्वासन दिया कि वसूलियां की जाएगी।

5.2.15 प्रकरणों के अनिर्धारण के कारण अवसूली/कम वसूली

पी.पी.जी.टी. अधिनियम विचार करता है कि यदि कर निर्धारण प्राधिकारी मालिक की उपस्थिति की जरूरत के बिना या उसके द्वारा प्रस्तुत किए सबूत से संतुष्ट है कि नियम के अंर्तगत प्रस्तुत रिर्टन किसी अवधि के संबंध में सही और पूरे हैं, यह वर्ष के दौरान किसी भी समय हो सकता है तथा वर्ष की समाप्ति के समय या व्यवसाय के समापन के पश्चात् होगा यदि यह वर्ष के दौरान होती है तो ऐसे रिर्टनस के आधार पर मालिक से देय कर की राशि का निर्धारण करता है। आगे, यदि वर्ष के अंत में या वर्ष के दौरान किसी समय पर, कर निर्धारण प्राधिकारी, उसके द्वारा सबूतों के प्रस्तुतीकरण को मालिक की उपस्थिति की जरूरत के बिना प्रस्तुत रिटर्न के साथ या उसके द्वारा किसी अवधि भुगतान किए गए से संतुष्ट नहीं है तो यह ऐसे मालिक को एक नोटिस जिसमें स्थान और तारीख पर प्रस्तुत होने की मांग की गई हो, भेजेगा या वह स्वयं प्रस्तुत हो या कोई सबूत प्रस्तुत किया जाए जिस पर ऐसा मालिक ऐसे रिर्टन के समर्थन में उत्तर दे सकता है।

हमने डी.ई.टी.सीज अंबाला, गुड़गांव तथा रेवाड़ी के कार्यालयों में देखा कि निर्धारित 560 प्रकरणों में से 81 प्रकरणों में ₹ 13.23 लाख के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 21.05 लाख मूल्य का यात्री कर वसूल नहीं किया गया था। विभाग द्वारा कोई मांग सूचना जारी नहीं की गई।

विभाग ने स्वीकार किया तथा आश्वासन दिया कि वसूली कर ली जाएगी।

5.2.16 आन्तरिक नियंत्रण यंत्रावली

5.2.16.1 अपर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण तथा मानीटरिंग

एक प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण रखने के लिए, विभाग ने प्रत्येक माह डी.ई.टी.सीज (पी.जी.टी.) द्वारा ई.टी.सी. को आठ विवरणियां/रिर्टनस प्रस्तुत की जानी निर्धारित की।

ई.टी.सी., हरियाणा के कार्यालयों में अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि ई.टी.सी. कार्यालय ने जिला कार्यालयों द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु विवरणियां निर्धारित की। 2009 – 10 तथा 2010 – 11 के दौरान निष्पादन की समीक्षा करने के लिए विवरणियां संकलित नहीं की गई। ई.टी.सी. कार्यालय द्वारा 2006 – 09 के दौरान प्राप्त विवरणियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। निष्पादन की समीक्षा के लिए पृथक बैठकें आयोजित नहीं की गई। विभाग ने जुलाई 2011 में बताया कि सामान्य बैठकों में ये बिन्दु चर्चित किए गए थे। तथापि, बैठकों के कार्यवृत तथा बैठकों की तिथियां लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाई गई। अत:, निदेशालय स्तर पर जांच आन्तरिक तथा मानीटरिंग अपर्याप्त थे।

एग्जिट कांफ्रैंस के दौरान प्रधान सचिव, आबकारी तथा कराधान विभाग ने तथ्यों की स्वीकार किया।

5.2.16.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा की कार्यचालन

आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रबंधन के हाथों में स्वयं को आश्वास्त करने का एक साधन है कि निर्धारित प्रणालियां अच्छे से कार्य कर रही हैं। विभाग ने मई 2011 में बताया कि उनके पास मुख्यालयों पर 10 लेखा अधिकारी तथा अनुभाग अधिकारी (15 संस्वीकृत पदों के विरूद्ध) थे इसके अतिरिक्त अनुभाग अधिकारियों ने जिला स्तर कार्यालयों में पी.जी.टी. के उद्ग्रहण तथा संग्रहण के संबंध में आन्तरिक लेखापरीक्षा की।

पी.जी.टी. की प्राप्तियों की जांच के लिए, विभाग ने आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं इत्यादि को संहिताबद्ध नहीं किया। 2008 – 09 से 2010 – 11 के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग ने 63 अनुच्छेदों से समायुक्त 13 निरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए तथा केवल सात अनुच्छेदों का समाधान किया।

विभाग ने बताया कि प्रत्येक जिले में, एस ओज पी.जी.टी. अधिनियम के अन्तर्गत नियमित रूप से लेखापरीक्षा कर रहे थे। तथापि, हमने देखा जिलों में तैनात एस ओज ने प्राप्तियों में केवल अंकगणीतीय त्रुटियां इंगित की थी।

एग्जिट कांफ्रैंस के दौरान, प्रधान सचिव, आबकारी तथा कराधान विभाग ने तथ्य स्वीकार किए तथा आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने आश्वासन दिया कि अनुभाग अधिकारियों को अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाने हेतु समर्थ बनाने हेतु उनकी क्षमता निर्माण के लिए देय समय में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

5.2.17 निष्कर्ष

पी.जी.टी. ने निष्पादन लेखापरीक्षा अधीन अवधि के दौरान सरकार के कर राजस्व का दो एवं पांच प्रतिशत संघटित किया। हमने देखा कि:

- विभाग ने मामलों के कर निर्धारण हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे;
- विभाग ने डी.सी.आरज की समीक्षा नहीं की थी तथा जहां अपेक्षित थे, कोई मांग नोटिस जारी नहीं किए;
- आर.टी.एज़ एवं डी.ई.टी.सीज़ कार्यालयों के मध्य समन्वय की कमी थी जिसके परिणामस्वरूप कर का अपवंचन हुआ;
- आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली एवं आंतरिक लेखापरीक्षा कमजोर थी; तथा
- विभाग ने अधिनियम/नियमों के प्रावधान एवं सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया।

5.2.18 अनुशंसाएं

सरकार निम्न सुझावों के कार्यान्वयन हेतु विचार कर सकती है: –

- बी.ईज़ वास्तविक बनाए जाने चाहिए;
- मांग और संग्रहण रजिस्टरों की आवधिक रूप से समीक्षा की जानी चाहिए तथा जहां अपेक्षित हो मांग नोटिस जारी किए जाने चाहिए;
- छः सीटर मैक्सी कैब/टैक्सी पर प्रभारित की जाने वाली कर की दर निश्चित की जानी चाहिए तथा पी.पी.जी.टी. अधिनियमों/नियमों के अधीन जोड़ी जानी चाहिए;
- कर का अपवंचन रोकने हेतु आर.टी.एज़ के साथ प्रभावी समन्वय हेतु कदम उठाए जाने चाहिए; तथा
- आन्तरिक नियंत्रण यंत्रावली एवं आन्तरिक लेखापरीक्षा सुदृढ़ और अधिक प्रभावी बनाई जानी चाहिए।

अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

5.3 अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का अननुपालन

पंजाब मोटर वाहन अधिनियम, 1924 (पी.एम.वी.टी. अधिनियम)/हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 प्रावधान करते हैं: –

(i) वाहनों के मालिकों द्वारा निर्धारित दर पर मोटर वाहन कर/टोकन कर/परमिट फीस का भुगतान; तथा

(ii) निर्धारित अवधि के भीतर तथा अग्रिम में भुगतान किया जाने वाला टोकन कर।

हमने देखा कि परिवहन विभाग ने टोकन कर और परमिट फीस के उद्ग्रहण एवं संग्रहण हेतु मामलों में अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया जैसा कि अनुच्छेद 5.3.1 में उल्लखित है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 33.51 लाख के बोली धन की अवसूली/कम वसूली हुई।

5.3.1 स्टेज कैरिज परमिटों पर बोली धन की अवसूली/कम वसूली

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों तथा इसके अधीन निर्मित नियमों के अन्तर्गत ''हरियाणा में निजी बस सेवा स्कीम – वर्ष 2001'' निश्चित मार्गों पर, 1993 स्कीम के अन्तर्गत विद्यमान परिवहन सहकारी समितियों, आम जनता तथा बेरोजगार युवाओं की नई सहकारिताओं को स्टेज कैरिज परमिटों की स्वीकृति हेतु आरम्भ की गई थी। परिचालन के परमिट तथा अधिकार, बोली आमंत्रित कर पांच वर्षों की अवधि हेतु पट्टे पर आपरेटरों को दिए जाने थे तथा मार्ग उच्चतम बोलीदाता को आबंटित किया जाना था। बोली धन प्रत्येक माह की 10 तारीख से पहले जमा करवाया जाना अपेक्षित था। बोली धन का भुगतान न करने के प्रकरण में प्राधिकारी शास्ति लगाने तथा परमिट के निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्रवाई कर सकता था।

मई 2010 तथा सितंबर 2011 के मध्य पांच[9] क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (आर.टी.एज) के वर्ष 2009 – 10 तथा 2010 – 11 मांग तथा संग्रहण रजिस्टर (डी.सी.आर.) से संबंधित अभिलेखों की नमूना – जांच के दौरान हमने देखा कि 20 परिवहन सहकारी समितियां, जिनको पांच वर्षों की अवधि हेतु नवंबर 2001 तथा जनवरी 2002 के मध्य परमिट दिए गए थे इस स्कीम के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों के अनुसार नवीकृत की गई थी। इन सहकारी समितियों द्वारा समान मासिक किस्तों में बोली धन जमा करवाया जाना अपेक्षित था। बोली धन न तो नियमित रूप से जमा करवाया गया था न ही विभाग द्वारा मांगा गया था। परमिट निलंबित/निरस्त करने अथवा शास्ति उद्ग्रहण हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2009 तथा मार्च 2011 के मध्य अवधि हेतु ₹ 33.51 लाख के बोली धन की अवसूली/कम वसूली हुई।

[9] अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, हिसार तथा जींद।

हमारे द्वारा मई 2010 तथा सितंबर 2011 के मध्य ये मामले इंगित किए जाने के पश्चात् सभी पांच आर.टी.एज ने सितंबर 2012 में बताया कि जून 2011 तथा अगस्त 2012 के मध्य 12 मामलों में ₹ 17.55 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा ₹ 15.96 लाख की शेष राशि वसूल करने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे।

जून 2010 तथा जून 2012 के मध्य मामला सरकार को सूचित किया गया। सरकार ने सितंबर 2012 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

इसी तरह के मामले वर्ष 2006–07 से 2007–08 के दौरान भी 5 जिलों में ₹ 50.17 लाख की वसूली से आवेष्टित थे जिनमें से केवल ₹ 5.33 लाख आज तक वसूल किए गए थे।